



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट

दिनांक 03.11.2023

थाना दोघट पुलिस एवं सर्विलांस सैल बागपत की संयुक्त टीम ने चैकिंग के दौरान 01 बाल अपचारी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए बाद पुलिस मुठभेड़ अन्य 02 शातिर गौकशों (01 घायलावस्था) को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 खोखा व 01 जिन्दा कारतूस, 02 प्रतिबन्धित पशु, एक अवैध दाव, दो अवैध छुरी, दो अवैध रस्सी व आठ प्लास्टिक के बोरे तथा घटना में प्रयुक्त एक गाडी स्विफ्ट बरामद ।

संक्षिप्त विवरण/कार्यवाही -

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस एवं सर्विलांस सैल बागपत की संयुक्त टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 बाल अपचारी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए बाद पुलिस मुठभेड़ अन्य 02 शातिर गौकशों (01 घायलावस्था) को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 खोखा व 01 जिन्दा कारतूस, 02 प्रतिबन्धित पशु, एक अवैध दाव, दो अवैध छुरी, दो अवैध रस्सी व आठ प्लास्टिक के बोरे तथा घटना में प्रयुक्त एक गाडी स्विफ्ट बरामद हुई है । पुलिस मुठभेड़ में आरक्षी अंकुल कुमार थाना दोघट भी घायल हुआ है । सभी घायलों को उपचार हेतु अस्पताल में भेजा गया है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार/कार्यवाही किए गए अभियुक्तों का नाम व पता:-

- 1-गुलफाम पुत्र नसीर निवासी फौलादनगर थाना दोघट जनपद बागपत (घायल)
- 2-फारुख पुत्र सुक्का निवासी फौलादनगर थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 3-01 बाल अपचारी ।

बरामदगी का विवरण:-

- 01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर ।
- एक स्विफ्ट गाडी नं0 UP-17Q-5991
- दो प्रतिबंधित पशु ।
- 02 अवैध छुरी ।
- पशु कटान के औजार व अन्य सामान ।

गिरफ्तार अभियुक्त गुलफाम पुत्र नसीर का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 549/21 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम थाना सरधाना जनपद मेरठ ।
- 2-मु0अ0सं0 80/21 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 3-मु0अ0सं0 130/21 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 4-मु0अ0सं0 301/2023 धारा 147/148/149/307 भादवि (पुलिस मुठभेड) व 3/8 गौवध अधिनियम व 3/4/25 आर्म्स एक्ट, धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम थाना दोघट जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-थाना प्रभारी श्री सोनवीर सिंह थाना दोघट ।
- 2-उ0नि0 श्री नितिन पाण्डेय प्रभारी सर्विलांस सैल ।
- 3-व0उ0नि0 श्री अख्तर अली थाना दोघट ।
- 4-उ0नि0 श्री अमरदीप थाना दोघट ।
- 5-उ0नि0 श्री अखिलेश यादव थाना दोघट ।
- 6-उ0नि0 श्री विकास चौहान थाना दोघट ।
- 7-है0का0 105 नीतू सिंह थाना दोघट ।
- 8-है0का0 172 अनुज कुमार थाना दोघट ।
- 9-है0का0 112 तेजवीर सिंह थाना दोघट ।
- 10-का0 587 अंकुल कुमार थाना दोघट ।
- 11-का0 287 अनिल कुमार थाना दोघट ।
- 12-का01044 शायद अली थाना दोघट ।
- 13-का0 857 सुरेन्द्र थाना दोघट ।
- 14-है0का0 जानसन सर्विलांस सैल बागपत ।
- 15-है0का0 वीरेन्द्र सर्विलांस सैल बागपत ।
- 16-का0 अनुज कुमार सर्विलांस सैल बागपत ।



थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 297/23 धारा 363 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 297/2023 धारा 363 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मुस्करण पुत्र रियासत निवासी पट्टनी परतापुर थाना झिंझाना जनपद शामली ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री रजत ढाका थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2-का0 801 भूपेन्द्र थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 3-का0 913 शंकरलाल बघेल थाना रमाला जनपद बागपत ।



थाना बालैनी पुलिस ने चैकिंग के दौरान अवैध विस्फोटक पदार्थ बनाने वाले/तस्कर 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 205 किलोग्राम अवैध बने/अधबने पटाखे व अन्य सामान बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध विस्फोटक पदार्थ बनाने वाले/तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 205 किलोग्राम अवैध बने/अधबने पटाखे व अन्य सामान बरामद हुआ है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बालैनी पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता -

- 1-नौशाद पुत्र साबिर निवासी ग्राम दत्तनगर थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 2-मोइन पुत्र इन्तजार निवासी ग्राम दत्तनगर थाना बालैनी जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 205 किलोग्राम अवैध बने/अधबने पटाखे ।
- अन्य सामान ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 219 अरुण कुमार थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 3-का0 354 सतवीर सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना चांदीनगर

दिनांक 03-11-2023

थाना चांदीनगर पुलिस ने चैकिंग दौरान वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम में 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से 17 कुन्तल कॉपर तार जले/अधजले, 01 महिन्द्रा ट्रैक्टर बिना नम्बर प्लेट व अन्य सामान बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा चैकिंग दौरान वायु प्रदूषण अधिनियम में 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 17 कुन्तल कॉपर तार जले/अधजले, 01 महिन्द्रा ट्रैक्टर बिना नम्बर प्लेट व अन्य सामान बरामद हुआ है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पर मु0अ0सं0 164/2023 धारा 268/269/270/278 भादवि व 2/3 वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-आसमौहम्मद पुत्र मौ0 मौसम निवासी निठौरा रोड अहमदनगर जनपद गाजियाबाद ।
- 2-मौ0 कैस पुत्र अनीस नीलगर निवासी निठौरा रोड डब्लू गार्डन थाना जनपद गाजियाबाद ।
- 3-राजा पुत्र नौसाद निवासी जलालाबाद थाना मुरादनगर जनपद गाजियाबाद ।

बरामदगी का विवरण-

- 17 कुन्तल कॉपर तार जले/अधजले ।
- 01 ट्रैक्टर महिन्द्रा बिना नम्बर प्लेट ।
- अन्य सामान ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-व0उ0नि0 श्री नन्द किशोर थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 2-का0 912 सूरज सिकरवार थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना दोघट बागपत

दिनांक-03.11.2023

थाना दोघट पुलिस ने चैकिंग के दौरान पशु क्रूरता अधिनियम में 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से पशु तस्करी में प्रयुक्त 01 गाड़ी महिन्द्रा पिकअप जिसमें क्रूरतापूर्वक भरे हुए 06 पशु बरामद ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं पशु तस्करी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस ने चैकिंग के दौरान पशु क्रूरता अधिनियम में 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से पशु तस्करी में प्रयुक्त 01 गाड़ी महिन्द्रा पिकअप जिसमें क्रूरतापूर्वक भरे हुए 06 पशु बरामद हुए हैं ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

- 1-चाहत पुत्र रफीक निवासी ग्राम खजुरी थाना किला परीक्षित गढ जनपद मेरठ।
- 2-आसिफ पुत्र आबिद निवासी ग्राम रसूलपुर थाना भावनपुर जनपद मेरठ ।

बरामदगी का विवरण:-

- पशु तस्करी में प्रयुक्त 01 गाड़ी महिन्द्रा पिकअप नं० UP-15ET-3416
- क्रूरतापूर्वक भरे हुए 06 पशु ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ०नि० श्री देवेन्द्र सिंह थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2-है०का० 146 विनोद कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना सिंघावली अहीर दिनांक 03.11.2023

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर किया बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा चैकिंग दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे एक अवैध तमंचा .315 बोर बरामद है।



रहे
के
किया
से
हुआ

उपरोक्त गिरफ्तारी व

बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 291/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए। यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

आवेश पुत्र चान्दू उर्फ चान्द निवासी ग्राम व थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री धीरज कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 2-का0 399 राहुल चौहान थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 3-का0 48 आकाश थाना थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना सिंघावली अहीर दिनांक 03.11.2023

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है ।



की
द्वारा
.315

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 290/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए । यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

शाहरुख पुत्र सलीम निवासी ग्राम व थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री जगवीर सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2-का0 666 रघुवीर सिंह थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 3-का0 406 रविन्द्र भाटी थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।